

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - नर्सिंग / नर्स-2(F) / स्था / (ग्रा0नर्स) / भरतपुर / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

विषय:- श्री मुकेश कुमार मीणा, ग्रा0 नर्स-2, स्थायीकरण बाबत।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 1712 दिनांक 19.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्री मुकेश कुमार मीणा, ग्रा0 नर्स-2, के स्थायीकरण/नियमितिकरण आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिक को रोवापुरितका की पृ0 सं0 1 से 4 तक प्रमाणित प्रति, कार्मिका का प्रकरण 9 वर्ष ~~पूर्व~~ विलम्ब से भिजवाने एवं पूर्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा स्थायीकरण/नियमितिकरण किया गया है अथवा नहीं? यदि हां तो प्रति भिजवाये साथ ही विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर वांछित सूचना भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम की जा सके।

-sl

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - नर्सिंग / नर्स-2(F) / स्था / (ग्रा0नर्स) भरतपुर / 2019 / 1066 दिनांक - 9/08/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- प्रभाषी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर